कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0–8544412079
हाजीपुर, वैशाली–844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय–आदेश

सहयोग पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या REF657382, प्रखंड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर वैशाली के पत्रांक–680 दिनांक–08.04.2026 तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान), वैशाली द्वारा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुर इमादपुर, भगवानपुर के दिनांक 14.05.2026 को किए गए औचक निरीक्षण/जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री मनीष कुमार मणि, विद्यालय अध्यापक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुर इमादपुर, भगवानपुर के विरुद्ध गंभीर अनियमितताएं एवं अनुशासनहीनता प्रमाणित पाई गई है।

प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार श्री मनीष कुमार मणि नियमित रूप से समय पर विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं। मैनुअल उपस्थिति पंजी में इनके द्वारा आगमन का समय 09:30 बजे अंकित किया जाता है, जबकि 'ई–शिक्षा कोष' पोर्टल पर इनका आगमन समय आदतन 1 घंटे से 3 घंटे विलंब पाया गया है। उपस्थिति पंजी में हेराफेरी, स्वेच्छाचारिता और आदतन विलंब से विद्यालय आना विभागीय निदेशों का खुला उल्लंघन है। निरीक्षण के दौरान श्री मणि द्वारा अपना पाठ–टीका भी उपलब्ध नहीं कराया गया। विभागीय निदेशानुसार प्रतिदिन पाठ–टीका तैयार कर प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षरित कराना अनिवार्य है, जिसका अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि वे मनमाने तरीके से विद्यालय में कार्य कर रहे हैं और पठन–पाठन के प्रति पूर्णतः उदासीन हैं। श्री मनीष कुमार मणि द्वारा विभाग को गुमराह करते हुए प्रधानाध्यापक की मिलीभगत से बिना कार्य किए पूर्ण वेतन प्राप्त किया गया है, जो छात्रों के शिक्षा के अधिकार का हनन करने तथा सरकारी राजस्व को हानि पहुँचाने का द्योतक है। श्री मनीष कुमार मणि का यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

उक्त आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों एवं जाँच प्रतिवेदनों के आलोक में, श्री मनीष कुमार मणि, विद्यालय अध्यापक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुर इमादपुर, भगवानपुर, वैशाली को उनके उपरोक्त कृत्य के लिए 'बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त), 2023 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित)' के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

श्री मनीष कुमार मणि का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, राजापाकर, वैशाली निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान निर्धारित निलंबन के मुख्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर किया जायेगा। अनुशासनिक कार्रवाई के सफल संचालन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा, वैशाली को जॉच पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, भगवानपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता हैं।

07.8.26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली

ज्ञापांकः–1702 हाजीपुर दिनांकः–07/08/26

प्रतिलिपिः–वरीय कोषागार पदाधिकारी, हाजीपुर/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/ संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ संबंधित शिक्षक एवं संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07.8.26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0–8544412079
हाजीपुर, वैशाली–844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय–आदेश

सहयोग पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या REF657382, प्रखंड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर, वैशाली के पत्रांक–680 दिनांक–08.04.2026 तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान), वैशाली द्वारा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुर इमादपुर, भगवानपुर के दिनांक 14.05.2026 को किए गए औचक निरीक्षण/जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्रीमती सारिका चंद्रायन, विद्यालय अध्यापक –सह– तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुर इमादपुर, भगवानपुर के विरुद्ध गंभीर अनियमितताएं एवं अनुशासनहीनता प्रमाणित पाई गई है।

प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्रीमती सारिका चंद्रायन नियमित रूप से समय पर विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं। मैनुअल उपस्थिति पंजी में इनके द्वारा आगमन का समय 09:30 बजे अंकित किया जाता है, जबकि 'ई–शिक्षा कोष' पोर्टल पर इनका आगमन समय आदतन 1–2 घंटे विलंब पाया गया है। उपस्थिति पंजी में हेराफेरी, स्वेच्छाचारिता और आदतन विलंब से विद्यालय आना विभागीय निदेशों का खुला उल्लंघन है। निरीक्षण के दौरान श्रीमती सारिका चंद्रायन द्वारा अपना पाठ–टीका भी उपलब्ध नहीं कराया गया। विभागीय निदेशानुसार प्रतिदिन पाठ–टीका तैयार कर प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षरित कराना अनिवार्य है, जिसका अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि वे मनमाने तरीके से विद्यालय में कार्य कर रहे हैं और पठन–पाठन के प्रति पूर्णतः उदासीन हैं। श्रीमती सारिका चंद्रायण द्वारा विभाग को गुमराह करते हुए प्रधानाध्यापक की मिलीभगत से बिना कार्य किए पूर्ण वेतन प्राप्त किया गया है, जो छात्रों के शिक्षा के अधिकार का हनन करने तथा सरकारी राजस्व को हानि पहुँचाने का द्योतक है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा के द्वारा विद्यालय निरीक्षक के क्रम में जब सभी शिक्षकों को आवश्यक निदेश प्राप्त करने हेतु रुकने को कहा गया, तब श्रीमती चंद्रायण आदेश की अवहेलना करते हुए जिद करके विद्यालय से प्रस्थान कर गईं। जबकि जिला पदाधिकारी, वैशाली के विद्यालय अवधि के बाद 10–10 परिवारों की स्व–जनगणना मोबाईल से करने, संबंधी आदेश की भी खुली अवहेलना की गई है। तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापिका के रूप में इनके द्वारा प्रशासनिक प्रभार लेने के 5 माह पश्चात् वित्तीय प्रभार लिया गया। साथ ही, छात्र कोष से 1,40,000/– (एक लाख चालीस हजार) रुपये की राशि की नकद निकासी अपने नाम से की गई, जबकि नियमानुसार विक्रेताओं को भुगतान चेक या बैंक एडवाईस के माध्यम से किया जाना चाहिए था। यह कृत्य प्रथम दृष्टया गंभीर वित्तीय अनियमितता, पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

उक्त प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित आरोपों एवं जाँच प्रतिवेदनों के आलोक में, श्रीमती सारिका चंद्रायन, विद्यालय अध्यापक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुर इमादपुर, भगवानपुर, वैशाली को उनके उपरोक्त कृत्य के लिए 'बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त), 2023 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित)' के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन किया जाता है।

अनुशासनिक कार्रवाई के सफल संचालन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,योजना एवं लेखा,वैशाली को जॉच पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, भगवानपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए आरोप पत्र की प्रति को संलग्न कर निर्देश दिया जाता है कि 45 दिन के अंदर जांच प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7.8.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली

ज्ञापांकः-1703 हाजीपुर दिनांकः-07/08/26

प्रतिलिपिः-वरीय कोषागार पदाधिकारी, हाजीपुर/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/ संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ संबंधित शिक्षक एवं संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7.8.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0 मोबाईल नं0–8544412079
जिला शिक्षा पदाधिकारी, हाजीपुर, वैशाली–844102
वैशाली।

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

आरोप पत्र

भाग प्रथम

(i). कर्मचारी का नाम– श्रीमती सारिका चंद्रायन,
(ii). पद नाम– विद्यालय अध्यापक
(iii). जन्म तिथि–
(iv). सेवानिवृति तिथि–
(v). सेवा संवर्ग का नाम– विद्यालय अध्यापक
(vi). पद समूह एवं विभाग– विद्यालय अध्यापक / शिक्षा विभाग
(vii). वेतन बैंड एवं ग्रेड पे वेतन स्तर–
(viii). आरोप वर्ष एवं पदस्थापन– 2026 / उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुर इमादपुर, भगवानपुर,प्रखंड– भगवानपुर, वैशाली

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।
07/5/26

भाग द्वितीय

अवचार–कदाचार के लांछनो का सार

(i). सहयोग पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या REF657382, प्रखंड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर वैशाली के पत्रांक–680 दिनांक–08.04.2026 तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान), वैशाली द्वारा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुर इमादपुर, भगवानपुर के दिनांक 14.05.2026 को किए गए औचक निरीक्षण/जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्रीमती सारिका चंद्रायन, विद्यालय अध्यापक –सह– तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुर इमादपुर, भगवानपुर के विरुद्ध गंभीर अनियमितताएं एवं अनुशासनहीनता प्रमाणित पाई गई है। उनका यह कृत्य विभाग के साथ धोखाधड़ी, बिना कार्य किए वेतन प्राप्त करने और अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नही करने को दर्शाता है। यह कृत्य सरकारी कर्मी के आचरण के सर्वथा प्रतिकूल है।

(ii). श्रीमती सारिका चंद्रायन नियमित रूप से समय पर विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं। मैनुअल उपस्थिति पंजी में इनके द्वारा आगमन का समय 09:30 बजे अंकित किया जाता है, जबकि 'ई–शिक्षा कोष' पोर्टल पर इनका आगमन समय आदतन 1–2 घंटे विलंब पाया गया है। उपस्थिति पंजी में हेराफेरी, स्वेच्छाचारिता और आदतन विलंब से विद्यालय आना विभागीय निदेशों का खुला उल्लंघन है। निरीक्षण के दौरान श्रीमती सारिका चंद्रायन द्वारा अपना पाठ–टीका भी उपलब्ध नहीं कराया गया। विभागीय निदेशानुसार प्रतिदिन पाठ–टीका तैयार कर प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षरित कराना अनिवार्य है, जिसका अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि वे मनमाने तरीके से विद्यालय में कार्य कर रहे हैं और पठन–पाठन के प्रति पूर्णतः उदासीन हैं। श्रीमती सारिका चंद्रायण द्वारा विभाग को गुमराह करते हुए प्रधानाध्यापक की मिलीभगत से बिना कार्य किए पूर्ण वेतन प्राप्त किया गया है, जो छात्रों के शिक्षा के अधिकार का हनन करने तथा सरकारी राजस्व को हानि पहुँचाने का द्योतक है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा के द्वारा विद्यालय निरीक्षक के क्रम में जब सभी शिक्षकों को आवश्यक निदेश प्राप्त करने हेतु रुकने को कहा गया, तब श्रीमती चंद्रायण आदेश की अवहेलना करते हुए जिद करके विद्यालय से प्रस्थान कर गईं। जबकि जिला पदाधिकारी, वैशाली के विद्यालय अवधि के बाद 10–10 परिवारों की स्व–जनगणना मोबाईल से करने, संबंधी आदेश की भी खुली अवहेलना की गई है। तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापिका के रूप में इनके द्वारा प्रशासनिक प्रभार लेने के 5 माह पश्चात् वित्तीय प्रभार लिया गया। साथ ही, छात्र कोष से 1,40,000/–(एक लाख चालीस हजार) रुपये की राशि की नकद निकासी अपने नाम से की गई, जबकि नियमानुसार विक्रेताओं को भुगतान चेक या बैंक एडवाईस के माध्यम से किया जाना चाहिए

था। यह कृत्य प्रथम दृष्टया गंभीर वित्तीय अनियमितता, पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

(iii). सरकारी सेवक के आचरण के प्रति घोर उदासीनता, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता स्वेच्छाचारिता, फर्जीवाड़ करना, विभाग को गुमराह करना, नियुक्ति के सेवा शर्त का घोर उल्लंघन करना।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।
07/8/26

भाग तृतीय

अवचार–कदाचार के लांछनो का अभिकथन

(i). सहयोग पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या REF657382, प्रखंड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर वैशाली के पत्रांक–680 दिनांक–08.04.2026 तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान), वैशाली द्वारा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुर इमादपुर, भगवानपुर के दिनांक 14.05.2026 को किए गए औचक निरीक्षण/जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्रीमती सारिका चंद्रायन, विद्यालय अध्यापक –सह– तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुर इमादपुर, भगवानपुर के विरुद्ध गंभीर अनियमितताएं एवं अनुशासनहीनता प्रमाणित पाई गई है। उनका यह कृत्य विभाग के साथ धोखाधड़ी, बिना कार्य किए वेतन प्राप्त करने और अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नही करने को दर्शाता है। यह कृत्य सरकारी कर्मी के आचरण के सर्वथा प्रतिकूल है।

(ii). श्रीमती सारिका चंद्रायन नियमित रूप से समय पर विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं। मैनुअल उपस्थिति पंजी में इनके द्वारा आगमन का समय 09:30 बजे अंकित किया जाता है, जबकि 'ई–शिक्षा कोष' पोर्टल पर इनका आगमन समय आदतन 1–2 घंटे विलंब पाया गया है। उपस्थिति पंजी में हेराफेरी, स्वेच्छाचारिता और आदतन विलंब से विद्यालय आना विभागीय निदेशों का खुला उल्लंघन है। निरीक्षण के दौरान श्रीमती सारिका चंद्रायन द्वारा अपना पाठ–टीका भी उपलब्ध नहीं कराया गया। विभागीय निदेशानुसार प्रतिदिन पाठ–टीका तैयार कर प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षरित कराना अनिवार्य है, जिसका अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि वे मनमाने तरीके से विद्यालय में कार्य कर रहे हैं और पठन–पाठन के प्रति पूर्णतः उदासीन हैं। श्रीमती सारिका चंद्रायण द्वारा विभाग को गुमराह करते हुए प्रधानाध्यापक की मिलीभगत से बिना कार्य किए पूर्ण वेतन प्राप्त किया गया है, जो छात्रों के शिक्षा के अधिकार का हनन करने तथा सरकारी राजस्व को हानि पहुँचाने का द्योतक है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा के द्वारा विद्यालय निरीक्षक के क्रम में जब सभी शिक्षकों को आवश्यक निदेश प्राप्त करने हेतु रुकने को कहा गया, तब श्रीमती चंद्रायण आदेश की अवहेलना करते हुए जिद करके विद्यालय से प्रस्थान कर गईं। जबकि जिला पदाधिकारी, वैशाली के विद्यालय अवधि के बाद 10–10 परिवारों की स्व–जनगणना मोबाईल से करने, संबंधी आदेश की भी खुली अवहेलना की गई है। तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापिका के रूप में इनके द्वारा प्रशासनिक प्रभार लेने के 5 माह पश्चात् वित्तीय प्रभार लिया गया। साथ ही, छात्र कोष से 1,40,000/–(एक लाख चालीस हजार) रुपये की राशि की नकद निकासी अपने नाम से की गई, जबकि नियमानुसार विक्रेताओं को भुगतान चेक या बैंक एडवाईस के माध्यम से किया जाना चाहिए था। यह कृत्य प्रथम दृष्टया गंभीर वित्तीय अनियमितता, पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

(iii). सरकारी सेवक के आचरण के प्रति घोर उदासीनता, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता स्वेच्छाचारिता, फर्जीवाड़ करना, विभाग को गुमराह करना, नियुक्ति के सेवा शर्त का घोर उल्लंघन करना।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
07/8/26

भाग चतुर्थ

दस्तावेजों की सूची

क्रम सं	संबंधित पत्र /अभिलेख	पृष्ठो की संख्या
1	ई–शिक्षाकोष दर्ज पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति विवरणी एवं जाँच प्रतिवेदन।	

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।
07/8/26

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0–8544412079
हाजीपुर, वैशाली–844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

आरोप पत्र

भाग प्रथम

(i). कर्मचारी का नाम– श्री मनीष कुमार मणि,
(ii). पद नाम– विद्यालय अध्यापक
(iii). जन्म तिथि–
(iv). सेवानिवृति तिथि–
(v). सेवा संवर्ग का नाम– विद्यालय अध्यापक
(vi). पद समूह एवं विभाग– विद्यालय अध्यापक / शिक्षा विभाग
(vii). वेतन बैंड एवं ग्रेड पे वेतन स्तर–
(viii). आरोप वर्ष एवं पदस्थापन– 2026 / उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुर इमादपुर, भगवानपुर,प्रखंड– भगवानपुर, वैशाली

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।
07/8/26

भाग द्वितीय

अवचार–कदाचार के लांछनो का सार

(i). सहयोग पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या REF657382, प्रखंड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर, वैशाली के पत्रांक–680 दिनांक–08.04.2026 तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान), वैशाली द्वारा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुर इमादपुर, भगवानपुर के दिनांक 14.05.2026 को किए गए औचक निरीक्षण/जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री मनीष कुमार मणि, विद्यालय अध्यापक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुर इमादपुर, भगवानपुर के विरुद्ध गंभीर अनियमितताएं एवं अनुशासनहीनता प्रमाणित पाई गई है।उनका यह कृत्य विभाग के साथ धोखाधड़ी, बिना कार्य किए वेतन प्राप्त करने और अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नही करने को दर्शाता है। यह कृत्य सरकारी कर्मी के आचरण के सर्वथा प्रतिकूल है।

(ii). श्रीमती सारिका चंद्रायन नियमित रूप से समय पर विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं। मैनुअल उपस्थिति पंजी में इनके द्वारा आगमन का समय 09:30 बजे अंकित किया जाता है, जबकि 'ई–शिक्षा कोष' पोर्टल पर इनका आगमन समय आदतन 1–2 घंटे विलंब पाया गया है। उपस्थिति पंजी में हेराफेरी, स्वेच्छाचारिता और आदतन विलंब से विद्यालय आना विभागीय निदेशों का खुला उल्लंघन है। निरीक्षण के दौरान श्रीमती सारिका चंद्रायन द्वारा अपना पाठ–टीका भी उपलब्ध नहीं कराया गया। विभागीय निदेशानुसार प्रतिदिन पाठ–टीका तैयार कर प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षरित कराना अनिवार्य है, जिसका अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि वे मनमाने तरीके से विद्यालय में कार्य कर रहे हैं और पठन–पाठन के प्रति पूर्णतः उदासीन हैं। श्रीमती सारिका चंद्रायण द्वारा विभाग को गुमराह करते हुए प्रधानाध्यापक की मिलीभगत से बिना कार्य किए पूर्ण वेतन प्राप्त किया गया है, जो छात्रों के शिक्षा के अधिकार का हनन करने तथा सरकारी राजस्व को हानि पहुँचाने का द्योतक है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा के द्वारा विद्यालय निरीक्षक के क्रम में जब सभी शिक्षकों को आवश्यक निदेश प्राप्त करने हेतु रुकने को कहा गया, तब श्रीमती चंद्रायण आदेश की अवहेलना करते हुए जिद करके विद्यालय से प्रस्थान कर गईं। जबकि जिला पदाधिकारी, वैशाली के विद्यालय अवधि के बाद 10–10 परिवारों की स्व–जनगणना मोबाईल से करने, संबंधी आदेश की भी खुली अवहेलना की गई है। तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापिका के रूप में इनके द्वारा प्रशासनिक प्रभार लेने के 5 माह पश्चात् वित्तीय प्रभार लिया गया। साथ ही, छात्र कोष से 1,40,000/–(एक लाख चालीस हजार) रुपये की राशि की नकद निकासी अपने नाम से की गई, जबकि नियमानुसार विक्रेताओं को भुगतान चेक या बैंक एडवाईस के माध्यम से किया जाना चाहिए

था। यह कृत्य प्रथम दृष्टया गंभीर वित्तीय अनियमितता, पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

(iii). सरकारी सेवक के आचरण के प्रति घोर उदासीनता, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता स्वेच्छाचारिता, फर्जीवाड़ करना, विभाग को गुमराह करना, नियुक्ति के सेवा शर्त का घोर उल्लंघन करना।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।
07/8/26

भाग तृतीय

अवचार–कदाचार के लांछनो का अभिकथन

(i). सहयोग पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या REF657382, प्रखंड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर वैशाली के पत्रांक–680 दिनांक–08.04.2026 तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान), वैशाली द्वारा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुर इमादपुर, भगवानपुर के दिनांक 14.05.2026 को किए गए औचक निरीक्षण/जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्रीमती सारिका चंद्रायन, विद्यालय अध्यापक –सह– तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुर इमादपुर, भगवानपुर के विरुद्ध गंभीर अनियमितताएं एवं अनुशासनहीनता प्रमाणित पाई गई है। उनका यह कृत्य विभाग के साथ धोखाधड़ी, बिना कार्य किए वेतन प्राप्त करने और अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नही करने को दर्शाता है। यह कृत्य सरकारी कर्मी के आचरण के सर्वथा प्रतिकूल है।

(ii). श्री मनीष कुमार मणि नियमित रूप से समय पर विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं। मैनुअल उपस्थिति पंजी में इनके द्वारा आगमन का समय 09:30 बजे अंकित किया जाता है, जबकि 'ई–शिक्षा कोष' पोर्टल पर इनका आगमन समय आदतन 1–3 घंटे विलंब पाया गया है। उपस्थिति पंजी में हेराफेरी, स्वेच्छाचारिता और आदतन विलंब से विद्यालय आना विभागीय निदेशों का खुला उल्लंघन है। निरीक्षण के दौरान श्री मणि द्वारा अपना पाठ–टीका भी उपलब्ध नहीं कराया गया। विभागीय निदेशानुसार प्रतिदिन पाठ–टीका तैयार कर प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षरित कराना अनिवार्य है, जिसका अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि वे मनमाने तरीके से विद्यालय में कार्य कर रहे हैं और पठन–पाठन के प्रति पूर्णतः उदासीन हैं। श्री मनीष कुमार मणि द्वारा विभाग को गुमराह करते हुए प्रधानाध्यापक की मिलीभगत से बिना कार्य किए पूर्ण वेतन प्राप्त किया गया है, जो छात्रों के शिक्षा के अधिकार का हनन करने तथा सरकारी राजस्व को हानि पहुँचाने का द्योतक है। श्री मनीष कुमार मणि का यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है।

(iii). सरकारी सेवक के आचरण के प्रति घोर उदासीनता, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता स्वेच्छाचारिता, फर्जीवाड़ करना, विभाग को गुमराह करना, नियुक्ति के सेवा शर्त का घोर उल्लंघन करना।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
07/8/26

भाग चतुर्थ

दस्तावेजों की सूची

कमं स	संबंधित पत्र /अभिलेख	पृष्ठो की संख्या
1	ई–शिक्षाकोष दर्ज पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति विवरणी एवं जाँच प्रतिवेदन।	

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।
07/8/26